प्रेस वज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-05.08.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा वशेष अ भयान

◆एक राय होकर मारने पीटने एवं गैर इरादतन हत्या के 02 दो षयों को मा0 न्यायालय द्वारा _10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को ₹121,000/- अर्थदंड_ से कया गया दं डत

◆वैज्ञानिक ववेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पु लस व लोक अ भयोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मली सजा

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

थाना औराई, जनपद भदोही क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नारायणपुर में दिनांक 14.03.2019 को आवेदिका शवकुमारी देवी द्वारा सू चत कया गया क आरोपी पक्ष (सा लक, जयशंकर उर्फ मंटू, वनीत उर्फ लुमुर और वरेन्दर उर्फ बबलू) उनकी भू म पर जबरन भूसा और कूड़ा-करकट रखकर कब्जा करने की को शश कर रहे थे। जब प्रा र्थनी के पति (लालजी पटेल) ने इसका वरोध कया, तो आरो पयों ने मलकर उन्हें जमीन पर पटक दिया, उनके सीने पर चढ़कर गला दबाया और उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ही आरो पयों ने प्रा र्थनी, उनके छोटे बच्चों (बेटी उ र्मला और रीमा) तथा घटना के बाद आए उनके देवर कमलेश को भी दौड़ा-दौड़ा कर बुरी तरह पीटा और पु लस में शकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सूचना पर मु0अ0सं0 53/2019 धारा- 304/34, 323/34, 504/34 व 506/34 भारतीय दण्ड संहिता थाना औराई जनपद भदोही पंजीकृत कर वैज्ञानिक ववेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरो पयों के वरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रे षत कया गया।

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *"ऑपरेशन कन्विक्शन"* के तहत चन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अ भयुक्तों के वरुद्ध मा0 न्यायालय से अ धकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पु लस द्वारा वशेष अ भयान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अ भयोग में स्थानीय पु लस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी-श्री प्रफुल्ल मालवीय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री दुर्गेश, अपर सत्र न्यायाधीश भदोही द्वारा दोषी अ भयुक्तगण जयशंकर उर्फ मन्टू व वरेन्द्र उर्फ बब्लू निवासीगण ग्राम नारायणपुर थाना औराई जनपद भदोही को आरो पत अपराध अन्तर्गत धारा- 304/34, 323/34, 504/34 व 506/34 भारतीय दण्ड संहिता में *_10 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को

₹121,000/- अर्थदंड_* से दं डत कया गया। अर्थ दंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।